जातीय पंचायते और प्रेम विवाह

हरियाणा के झज्जर जिले मे एक युवक ने एक ऐसी लडकी से प्रेम किया जो उसी के गोत्र की थी । सामाजिक व्यवस्था मे सगोत्र विवाह प्रतिबंधित होता है और संवैधानिक व्यवस्था मे बालिग स्त्री पुरूश विवाह को वैधानिक माना जाता है । कानूनो ने इस सगोत्र विवाह को वैध घोशित किया और जातीय पंचायत ने समाज विरोधी कार्य के रूप मे अपराध । जातीय पंचायत ने ऐसे युवक युवती को बहिश्कृत करके गॉव छोडने का आदेष दे दिया जिसके विरूद्ध कानून व्यवस्था ने आदेष को अवैध घोशित करके पंचायत प्रमुखो के विरूद्ध अपराध कायम कर दिया और कार्यवाही षुरू कर दी ।

एक सप्ताह के भीतर ही हरियाणा के जींद जिले मे एक युवक ने एक सगोत्र लडकी से प्रेम विवाह करके उसे पंजीकृत करा लिया । उक्त विवाह को भी सामाजिक पंचायत ने अपराध घोशित कर दिया और कानुन ने वैध। उक्त युवक के पक्ष मे न्यायालय ने आदेष पारित करके युवती को उसके परिवार से बल पूर्वक निकाल कर युवक को सौपने के लिये पुलिस बल भेज दिया तो सामाजिक पंचायत ने पुलिस बल पर भारी पड कर उक्त अपराधी युवक की हत्या कर दी । कानून और समाज के वर्चस्व की लडाई के प्रथम परिणाम मे एक युवक की जान चली गई एक युवती सामाजिक रूप से बच गई और कानूनी रूप से विधवा हो गयी तथा भविश्य मे इस टकराव के क्या परिणाम होगे यह पता नही ।

बालिग स़्त्री पुरूश के बीच विवाह संबधो मे कानून और समाज के बीच वर्चस्व की यह कहानी हरियाणा के दो गांव तक ही सीमित नही है। यह टकराव तो लगभग पूरे भारत मे ही है जिसमे हरियाणा या पष्चिमी उतर प्रदेष मे सामूहिक टकराव की नौबत आती है तो अनेक स्थानो पर व्यक्तिगत टकराव तक सीमित हो जाती है। कलकत्ता बंगाल का रिजवानुल प्रकरण कोई बहुत पुराना नही पडा है । जिसमे उधोगपति तोदी परिवार को कितने वैध अवैध संकट झेलने पडे और रिजवानुल बेचारा तो मर ही गया । लडकी का क्या परिणाम हुआ यह पता नही। ऐंसे सैकडो प्रकरण रोज हो रहे है जिसमे कानून और समाज के बीच वर्चस्व की लडाई मे लडका लडकी और इन

दोनो का परिवार आपस मे टकराकर या तो बर्बाद हो रहे है या हार थक कर जीवन भर कलंक का बोझ ढोने को मजबूर है ।

इसलिये यह आवष्यक है कि इस टकराव पर हम गंभीर विचार मंथन करे । सैकडो वर्श पूर्व से ही व्यक्ति परिवार और समाज के अलग अलग अधिकार और उनकी सीमाएॅ अस्पश्ट रही है । भारतीय गुलामी के पूर्व यह सीमा रेखा समाज और परिवार की तरफ आंषिक झुकी हुई होते हुए भी स्पश्ट थी । कोई किसी की सीमा रेखा का अतिक्रमण न करता था न कर पाता था । विवाह के लिये स्पश्ट प्रावधान था कि बालिग विवाह लडके लडकी की स्वीकृति परिवार की सहमति तथा समाज की अनुमति से ही हो सकते थे अन्यथा नही । अवयस्क लडके लडकी के विवाह मे संरक्षको की स्वीकृति को ही लडके लडकी की स्वीकृति मान लिया जाता था। परिवार की सहमति और समाज की अनुमति के लिये कुछ प्रक्रियाएॅ निर्धारित थी । व्यक्ति के अधिकार भी तीन प्रकार के थे ।

1 प्राकृतिक या मौलिक 2 संवैधानिक 3 सामाजिक

तीनो प्रकार के अधिकार भी पृथक पृथक थे और इन अधिकारो की सीमाओ का भी सबको ज्ञान होने से प्रायः टकराव नही होता था । विवाह लडके और लडकी का मूल अधिकार था जिसमे संवैधानिक हस्तक्षेप षून्य था । यदि कोई लडका या लडकी परिवार या समाज की अनुमति के विपरीत विवाह कर लेते थे तो भी परिवार या समाज न उसे मारपीट कर सकता था न हत्या । समाज या परिवार उक्त लडके लडकी के पारिवारिक सामाजिक बहिश्कार तक ही सीमित थे । इससे अधिक दण्ड देना उनके मूल अधिकार का हनन होने के कारण संभव नही था । संविधान या कानून का तो ऐसे मामले मे कोई हस्त़क्षेप हो ही नही सकता था क्योकि विवाह या अन्य स्त्री पुरूश संबध तब तक राज्य षक्ति के हस्तक्षेप से बाहर थे जब तक बलात्कार या बल प्रयोग न हो ।

गुलामी काल मे जब भारतीय समाज व्यवस्था मे इस्लामी समाज व्यवस्था का विजेता के रूप मे सम्मि़श्रण हुआ तब ऐंसी सीमाएॅ टूटने लगी इस्लामी व्यवस्था मे परिवार और समाज व्यवस्था अधिक अधिकार सम्पन्न थी तथा उसे दण्डित करने तक के अधिकार थे । इस्लाम मे व्यक्ति के मौलिक अधिकार को कोई मान्यता नही है । जब अंग्रेजो का षासन आया तो इन्होने व्यक्ति

परिवार और समाज की सारी अवधारणा को ही उलट पलट कर रख दिया । इन्होने मौलिक अधिकारो को मान्य किया और व्यक्ति को मजबूत करते हुए परिवार व्यवस्था को पूरी तरह अमान्य कर दिया । इन्होनें समाज व्यवस्था को इस तरह बदला कि राज्य व्यवस्था ही समाज व्यवस्था के रूप मे स्थापित होने लगी । इस व्यवस्था ने स्वयं को समाज घोशित कर दिया और विवाह सहित हर परिवार या सामाजिक मामले मे राज्य के अधिकारो को असीमित कर दिया । अंग्रेजी सरकार के अनेक दलाल इन सरकारी हस्तक्षेपों को समाज सुधार का नाम दे देकर सरकार की चापलूसी भी करते रहे और सम्मान जनक खिताब भी पाते रहे।

स्वतंत्रता के बाद तीन विचार धाराएॅ षुरू हुई । 1 पाष्चात्य विचार धारा जो परिवार व्यवस्था और समाज व्यवस्था को अमान्य करके या तो व्यक्ति को अधिकतम अधिकार देने के पक्षधर थे या राज्य को 2 संघ विचार धारा जो व्यक्ति को अधिकार षून्य करके धर्म को ही समाज सि़द्ध कर रहे थे । 3 गांधी जो राज्य और धर्म से परिवार और समाज को अधिक अधिकार सम्पन्न बनाना चाहते थे और व्यक्ति के भी उसके मूल अधिकार सुरक्षित रखना चाहते थे। किन्तु गॉधी हत्या के बाद सत्ता संघर्श से गॉधी और उनकी योजना को बाहर कर दिया गया । अब एक ही विचार धारा हावी है कि परिवार और समाज व्यवस्था को पूरी तरह समाप्त करके राज्य या व्यक्ति को सर्वाधिकार सम्पन्न बना दिया जावे । इस पडयंत्र के बीच कहीं समाज के नाम पर धर्म या जाति के संगठन कुछ टकराव लेते रहते है जो दबा दिये जाते है।

भारतीय संस्कृति मे स्त्री पुरूश संबंधो के मामले मे परिवार और समाज की महत्वपूर्ण भूमिका रही है जिसे राज्य लगातार षून्य करने का प्रयास कर रहा है । मै अब तक नही समझ सका कि यदि लडके और लडकी बालिग होते ही विवाह के मामले मे पूर्ण स्वतंत्र है तो ऐसे प्रेम विवाह वालो को परिवार और समाज बहिश्कार क्यो नही कर सकता ? परिवार या समाज ऐसे विवाह की रोकथाम मे न बल प्रयोग कर सकता है न हिंसा और यदि कोई ऐसा करता है तो वह अपराध है किन्तु यदि कोई परिवार या समाज हिंसा न करके उसें बहिश्कृत कर दें तो राज्य को क्यो आपत्ति है । राज्य और

उससे जुडे लोगो ने परिवार और समाज की सम्पूर्ण व्यवस्था को ही इस तरह षून्य कर दिया की वे न विरोध कर सकते है न बहिश्कार । प्रेम विवाह बालिग लडके लडकी का अधिकार है किन्तु आदर्ष नही । ऐसे विवाहो को निरूत्साहित करना उचित है भले ही रोक न सकें । यदि समाज के स्वाभाविक विरोध प्रदर्षन के अधिकार को भी बाधित किया गया तो उसकी प्रतिक्रिया होती है जो समाज की उचित सीमाओ को भी तोडकर कई बार हिंसा का रूप ग्रहण कर लिया करती है ।

आप कल्पना करिये कि एक लडकी को आपने अठारह वर्श तक पाल पोसकर उसे सब प्रकार की सुविधा और सुरक्षा दी । आपने उस लडकी पर लाखो रूपये खर्च भी किया । वह लडकी बालिग होते ही आपकी इच्छा के विरूद्ध किसी लडके के साथ चली जावे । आप उस लडकी को न समझा सकते है न रोक सकते है । जब वह लडकी चली ही गयी तब भविश्य मे मै उसे परिवार का सदस्य मानूॅ या न मानूॅ यह मेरी मर्जी है। मेरा घर मेरी लडकी के प्रेमी का ससुराल और मै उसका ससुर कैसे बन गया जब मेरी या मेरे परिवार की उसमे कोई सहमति नही। यदि उस लडकी को लडका निकाल दे तो मेरे परिवार मे लडकी को षामिल करना मेरी इच्छा पर होगा न की लडकी की इच्छा पर हिन्दू कोड बिल बनाकर कानून ने हर घर मे झगडे पैदा कर दिये है । उस लडकी और उसके पति का परिवार विच्छेद उतनी बडी समस्या नही जितनी बडी उनकी परिवार से भविश्य मे कानूनी सम्बद्धता । हमारे राजनेता झगडे पैदा करना तो जानते है पर सुलझा नही पाते है । झज्जर मामले मे लडका लडकी गांव गये तब पंचायत ने उसे गांव छोडने का आदेष दिया । यदि जाति पंचायत का यह फरमान गलत है तो मेरे विचार मे पारिवारिक और सामाजिक मामलो मे कानूनो का अनियंत्रित हस्तक्षेप भी गलत है । व्यक्ति परिवार और समाज की अपने आप मे अधिकारो की सीमाऍ घोशित होनी चाहिये और तब यदि कोई ऐसी सीमाओ का उल्लंघन करे तो राज्य ऐसे उल्लंघन मे हस्तक्षेप करे और कानून बनाकर दंडित करे । बालिग लडके लडकी के विवाह के मामले मे परिवार और समाज के कोई अधिकार या हस्तक्षेप संभव है या नही यह तय कौन करेगा? ऐसा तो उचित नही की बालिग होते ही परिवार को कोई अधिकार नही । अब परिवार का अधिकार षून्य है और लडका

लडकी पूर्ण स्वतंत्र है । यदि कानून और संविधान की ऐसी ही धारणा है तो ऐसे कानून और संविधान बिल्कुल ही अमान्य है और साथ ही अमान्य है ऐसे कानून के समर्थक या उनके बनाने वाले ।

मै तो इस निश्कर्श पर पहूॅचा हूॅ कि जो कुछ हरियाणा मे हुआ या अन्य जगहो पर हो रहा है उन सब फसादो की जड भारतीय संविधान और उस आधार पर बने कानून ही है। बालिग लडके लडकी को स्वंतंत्रता देना हमारा कर्तव्य है किन्तु उनका अधिकार नही । यदि वे इसे अधिकार के रूप मे उपयोग करना चाहते है तो वे परिवार से पृथक होकर नया परिवार बना ले । भारतीय संविधान ने हमारे कर्तव्यो को उनका अधिकार घोशित करके झगडा पैदा कर दिया । आवष्यकता है कि व्यक्ति परिवार और समाज के अधिकारो की सीमाऍ तय करने के पूर्व राज्य और समाज के अधिकारो की सीमाऍ तय कर दी जावे । अन्यथा राजनीतिज्ञ हमारी अधिकारो की सीमाऍ तय करने के नाम पर लडाते भिडाते रहेगे और हम अपने ही लोगो से लडते रहेगे ।

पत्राोत्तर

1 श्री रविकान्त खरे , बाबा जी ,निराला नगर ,लखनउ, उत्तर प्रदेंष

विचार– कोई माने या न माने यह ऐतिहासिक तथ्य व सत्य है कि आततताई मुस्लिमो ने अनेको हिन्दु मन्दिरो का विध्वंस किया। अयोध्या मे राम मन्दिर को ध्वस्त करके वहॉ मस्जिद खडी की गई मुस्लिमो द्वारा । फिर जनाक्रोष के कारण वह मस्जिद ध्वस्त हुई। मुसलमानो को इससे दुख हुआ क्यो? हिन्दुओ की श्रद्वा अपने मन्दिरो के प्रति है ओर मुसलमानो की श्रद्वा अपने मस्जिद के प्रति है होनी भी चाहिये जब हिन्दु मन्दिरो को आततताइ मुस्लिमो द्वारा तोडा गया तब हिन्दुओ की श्रद्वा का ख्याल नही आया पर जब एक मस्जिद को तोडा गया तब श्रद्वा का प्रष्न खडा हो गया मुस्लिमो की ओर से वशो से विवाद चल रहा है परन्तु विवाद आज तक सुलझा नही ओर सुलझेगा भी नही। अपनी पीडा पीडा है इसलिये उसका एहसास होता है निज के प्रति सभी संवेदनषील होते है, परन्तु दूसरो के प्रति संवेदनषील

कोई नही होता अपवाद को छोडकर। इसी प्रकार निज के प्रति अन्याय से भी क्षुब्ध हेाते है विरोध करते है और आवाज उठाते हे परन्तु दुसरो के प्रति अन्याय से भी कोइ क्षुब्ध नही होता विरोध नही करता आवाज नही उठाता अपवाद को छोडकर। आध्यात्मिक तत्व दर्षन का उदय होता हे तभी दुसरो के प्रति संवेदनषीलता भाव उत्पन्न हेाता है ओर दुसरो के प्रति अन्याय से क्षोभ पैदा हेाता है आज के समय मे भौतिकवादी दृश्टिकोण की प्राथमिकता के कारण आध्यात्मिक तत्व दर्षन का दृश्टिकोण गेाण हो गाया तथा निज के प्रति अन्याय से क्षोभ होना स्वाभाविक हो गया ओर दुसरो के प्रति अन्याय से क्षुब्ध हेाना अस्वाभाविक हो गया। प्रकृति तो यही सीख देती हे कि दुसरो के प्रति भी सवेदनषील बनो और पर पीडा से भी पीडित होने का एहसास करो, परन्तु हम प्रकृति से ही दूर होते जा रहे है और भौतिकता मे खोते जा रहे हे अफसोस सद अफसोस हम तो पडोसी से भी दूर दूर रहते है

मजहबी उन्मादी जिहादी आतंकवादी एवं आततताई मुसलमान आज भी गैर मुसलमानो की हत्या कर रहे है तथा मन्दिरो एवं मुर्तिपूजको से घृणा कर रहे है। घृणा की षिक्षा उन्हे कुरान से मिलती है कुरान मे बहुत सी आयतें बहुत हानिकारक है, झगडा लडाई कराने की प्रेरणा देती हे और घृणा एवं मतभेद की उत्पादक है। कुरान ने सारे दुसरे धर्मो को निरस्त कर दिया ओर इन्सानो और संस्कृतियो को दो भागो मे विभक्त कर दिया इसलिये मुस्लिम ताहे दिल से सर्वधर्म समभव की मान्यता नही करे ; जियो और जीने दो के सिद्वांत का अनुपालन नही करेगे भारत को अपनी मातृ–भूमि नही मानेगे और भारत के विरूद्व पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद तथा पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियो की भर्त्सना नही करेगें अपवाद की बात दुसरी है। गॉधी का यह कथन कि ''किसी भी परिस्थिति मे मर भले जाओ पर मारो मत'' मुसलमानेा के लिये नही था क्येाकि वह कुरान से प्राप्त मानसिकता के विरूद्व था वह कथन केवल हिन्दुओ के लिये था क्योकि वे ही जियो और जिने दो के सिद्वातं के स्वीकारकर्ता थे। यह सिद्व हुआ कि जहॉ पैगम्बरवाद प्रभावी हो वहॉ गॉधीवाद प्रभावी नही हो सकता। गॉधीजी की अहिंसा अहिंसा नही थी वरन् अतिषय अहिंसा हिंसा की जन्मदायी बन जाती है। हिंसा का खूब

ताण्डव तब भी हुआ ओर अब भी हुआ निःसन्देह तुश्टीकरण की नीति आत्मघाती सिद्ध हुई है। सेक्यूलरवादी देष मे तुश्टीकरण का क्या काम ? खेद है कि स्वार्थी लोगो को इस परिप्रेक्ष्य मे कोई विचार करना ही नही है। परन्तु सत्य तो यही है कि जब तक विचार नही सुधरेगें, तब तक आचरण भी नही सुधरेगा। सिक्ख गुरू ने सब देख समझ कर तजुर्बे के आधार पर कहा था कि मुसलमान हजार बार अर्थात बार बार अपनी विष्वसनीयता का दावा करें, पर उन्हे विष्वसनीय नही माना जा सकता। स्वामी विवेकानन्द ने कहा था कि इस्लाम मजहब ने जितना खून खराबा कराया उतना किसी धर्म ने नही कराया। अब समय बदल गया है। अब मुस्लिमों और गैर मुस्लिमो को मिजाज, मान्यता, धारणा एक चिन्तन मे राश्ट्रीय हित मे बदलाव लाना चाहिए। जो त्रुटियां हुई, उनसे सीख लेना चाहिए। चिन्तन की दिषा और आचरण की दषा बदलनी चाहिए। पैगम्बर साहब पर कोई उंगली उठावे, तो मुसलमान आहत हो जाते है, क्योकि मुस्लिमो की आस्था उनसे जुडी हुई है। इसी प्रकार राम व कृश्ण पर कोई आक्षेप करे, तो हिन्दू आहत हो जाते है, क्यो कि हिन्दुओ की आस्था उनसे जुडी है। जिन्ना ने कहा था कि इस्लामिक मान्यता के अनुसार एक गिरा हुआ मुसलमान भी गॉधी से बेहतर है। क्या मुसलमान व काफिर मे भेद के कारण ऐसी बेजा टिप्पणी नही की गई? स्वामी श्रद्धानन्द की हत्या करने वाला एक मुसलमान था, जिसे महिमामण्डित किया था मुस्लिम समुदाय ने। जन्माधारित जाति व्यवस्था हिन्दुओ मे भी चली और मुसलमानों मे भी चली । दोनो समुदायो मे विकृति पैदा हुई। दोनो समुदायो मे जातिवादी राजनीति खेली जाने लगी और जातिवादी विश दोनो समुदायो मे धोल दिया गया। जातिगत आधार से बनाई गई आरक्षण व्यवस्था ने सोने मे सोहागे जैसा काम किया। सारी मॉगे जातिगत आधार से की जाने लगी, दोनो समुदायो द्वारा। वर्ग–संधर्श प्रारम्भ हो गया। एक मुसलमान ने कहा कि सत्यार्थ प्रकाष पर प्रतिबन्ध लगाया जाय तो कोई हिन्दू भी कह सकता है कि कुरआन पर प्रतिबन्ध लगाया जाय। कुछ कहने से पूर्व सोचना चाहिए। कि क्या बोलना चाहिएं उन्माद मे तो विवेक खो जाता है और विवेकहीन हो जाने पर सब कुछ चौपट हो जाता है । विवेक पर ताला लगाने वाला महजब है इस्लाम, सनातन धर्म नही। एक मुसलमान कहता है कि वह पहले मुस्लिम है

फिर कुछ और , तो एक हिन्दू को कहना चाहिए कि वह पहले हिन्दू है , फिर कुछ और। प्रष्न अस्मिता के धरातल का है इसलिए अस्मिता के धरातल से उत्तर देने पर ही बात बनेगी और समझ मे आएगी। इसी प्रकार यदि एक मुसलमान कहता है कि मस्जिद हमारी तो एक हिन्दू को कहना चाहिए कि मन्दिर हमारा तब बात बनेगी। यदि एक मुसलमान कहता है कि हिन्दू काफिर है, तो एक हिन्दू को कहना चाहिए कि मुसलमान काफिर है, एव अविष्वसनीय है। परन्तु होता यह है कि कतिपय हिन्दू नासमझी के कारण अतिषय सहिश्णु बनने लगते है या अतिषय उदारवादी बनने लगते है। वे अस्मिता मे रहस्य धुसेडने लगते है या रहस्य मे अस्मिता धुसेडने लगते है। इसी कारण कोई कोई कहने लगते है कि वे न हिन्दु है, न मुसलमान न सिक्ख न ईसाई वरन् मात्र मानव या भारतीय है। एक कहेगा कि वह पहले मुसलमान है फिर कुछ और दूसरा कहेगा पहले वह मानव है फिर कुछ और तो समाधान नही निकलेगा। यही त्रुटि हुई है जिसके कारण भारत की सहिश्णुता एव उदारता का अनुचित लाभ उठाया पाकिस्तान ने और हिन्दूओ की सहिश्णुता एक उदारता का अनुचित लाभ उठाया मुस्लिमो ने । यह चिन्ता का विशय भी है और चिन्तन का विशय भी है। हर बात खुलकर सामने आनी चाहिए। मुस्लिम आलिमो ने रहस्य खोला भी है पर हिन्दुओ ने उस पर ध्यान नही दिया । हर हाल मे वैचारिक क्रान्ति के उदधोश एक वैचारिक वर्तुल के निर्माण की परम आवष्यकता है। जनजागरण तो करना ही पडेगा।

2 श्री मलय कृश्ण धर, प्रथम प्रवक्ता से

विचारः–

एक जमीनी सच्चाई इस्लामी कट्टरवाद के विकास की अवधारणा, जिहाद के जहर से भारतीय मुसलमानो के मस्तिश्क के दूशित होने तथा अलगावादी मानसिकता के फिर से उभार से जुडी है। हमें षुरूआत से ही स्पश्ट रूप से यह समझ लेना चाहिए कि सभी मुसलमान आतंकवादी एव जिहादी नही है। उनमे से अधिकतर तो कट्टरपंथी भी नही है। अगर 80 करोड से अधिक हिंदुओ तथा 15 करोड से अधिक मुसलमानो के बीच व्यापक अध्ययन किया जाएगा तो यह पता चलेगा कि लगभग पांच फीसदी हिंदू प्रबल रूप से हिंदुत्व एवं हिंदू कट्टरपंथियो के प्रति आस्थावान है। लेकिन इनके

बीच का भी एक बहुत छोटा तबका, संभवतः 0.01 प्रतिषत ही मुसलमानो के खिलाफ हथियार उठाने का बात सोचता है।

इसकी तुलना मे लगभग 60 फीसदी मुसलमानो को कट्टरपंथी कहा जा सकता है, 35 फीसदी इस्लामी उभार मे विष्वास करते है, 30 प्रतिषत अलगाववाद मे विष्वास करते है और लगभग 15 प्रतिषत का मानना है कि पाकिस्तानी एव बांग्लादेषी तंजिमो का हथियारबंद जिहाद ही भारत मे इस्लाम का खोया हुआ गौरव वापस लौटा सकता है। यह आंकडे चिंताजनक है। अल्पसंख्यको के अलग–थलग हो जाने से पैदा होने वाला मुस्लिम अलगाववाद तथा हिंदुओ मे बढती बहुसंख्यकवाद की धारणा धीरे धीरे आपसी टकराव की स्थिति मे पंहुच रही है। मुस्लिम समर्थक सच्चर कमिटी की रिपोर्ट के आधार पर मुसलमानो को षिकायतो को दूर करने का सरकारी प्रयास बहुसंख्यक समुदाय के बीच इसके खिलाफ प्रतिक्रिया को जन्म दे रहा है। यह प्रवृति परेषान करने वाली है और केंन्द्र तथा राज्य सरकारो को तत्काल ही इस तरफ ध्यान देना चाहिए।

मुख्यधारा के भारत मे आतंकवाद को लेकर जो सोच है वह पाकिस्तान और बांग्लादेष से मिल रहे समर्थन के बूते जारी मुस्लिम उग्रवाद और कुछ हद तक लाल क्षेत्र मे माओवादी आतंक को लेकर है। आतंकवाद जैसे कुकृत्य को भी अलग अलग लोग अलग अलग नजरिए से देखते है। यहां तक कि मुसलमानो का एक बडा वर्ग भी यह मानने को तैयार नही है कि उनके समुदाय का एक खास तबका जिहादी मानसिकता से प्रभावित है और विदेषी खुॅफिया एजेंसियो तथा दूसरे देषो से सक्रिय जिहादी तंजिमो के साथ जुडा हुआ है। यहा तक कि बाटला हाउस जैसी दिन के उजाले मे हुई धटना पर भी मुस्लिम नेताओं ने सवाल उठाए और आजमगढ के उलेमाओ ने अपने यहां के लोगो को आतंकवाद से जोडने के खिलाफ दिल्ली मे एक विषाल प्रदर्षन आयोजित किया। मुस्लिम बुद्धिजीवियो तथा संगठनो ने भी मुसलमानो को आतंकवाद से जोडे जाने का विरोध किया है। उनकी चिताए उचित है। सभी मुसलमान आतंकवादी नही है लेकिन कुछ है । जीवन की सच्चाई से मुंह नही मोडा जा सकता।

कुछ राजनीतिक संगठन जो हिंदुत्व से जुडे हुए है, मुस्लिम आबादी मे वृद्धि बांग्लादेषी धुसपैठ और मुस्लिम अलगाववाद से राश्ट्रीय एकता को पहुंचने वाले खतरे की बात करते है। सच तो यह

है कि मुस्लिम समुदाय के साथ साथ वे भी विभाजन के हैगओवर से मुक्त नही हुए है इस मानसिकता से देष के मुस्लिम क्रिया और हिन्दू प्रतिक्रिया के बीच फंस जाने का खतरा तो है ही। मै इसे देष मे सांप्रदायिक विभाजन का फिर से उभर आना कहूंगा जो बंटवारे के पहले था और वैसी ही प्रतिक्रिया है जिसे न्यूटन के गति के तीसरे नियम के रूप मे बताया गया है। सरकार की अल्पसंख्यक नीतियो से बहुसंख्यको की असंतुश्टि भी इस प्रतिक्रिया की वजह है। 1714 से लेकर अभी तक का सांप्रदायिक दंगो का जो इतिहास है उससे स्पश्ट है कि भारत कभी भी स्वांगीकृत रहा ही नही है। यह तो बस अलग अलग स्थितियों मे साथ साथ रहने वाली बात है। इसके अलावा देष जातीय भाशाई सामाजिक एव आर्थिक आधार पर भी एक सूत्र मे बंधा हुआ नही दिखता है। न तो आरक्षण से कमजोर तबके को प्रभुत्वषाली तबके के बराबर खडा किया जा सकता है न ही कुछ सीमित अनुत्पादक रोजगार गारंटी, आवासीय योजनाओ के माध्यम से ग्रामीण एव षहरी अर्थव्यवस्था के बीच की खाई को पाटा जा सकता है। हम इस बिखरे हुए भारत के ढेर से भारत की आत्मा को कैसे हासिल कर सकते है ? ‘ असमुद्र हिमाचल‘ भारत की अवधारणा अब लोकसाहित्य मे सिमटकर रह गई है।

समीक्षा– श्री रविकान्त खरे जी और श्री मलय कृश्ण धर जी मेरे पूर्व परिचित है। दोनो ने यथार्थ लिखा है किन्तु धर जी के यथार्थ मे प्रबल तर्क है और बाबाजी के यथार्थ मे आक्रोष। आक्रोष यथार्थ के महत्व को हमेषा ही कम कर देता है। इस्लामिक कटटरवाद अब आतंकवाद मे बदल जाने के कारण गंभीर संकट का रूप ले चुका है। वह छोटे मोटे सामाजिक टोटके से नही रूक पायेगा कि हम सत्यार्थ प्रकाष पर प्रतिबंध की मांग के बदले कुरान पर प्रतिबंध की मांग उठा दे या कोई मुसलमान अपने को कट्टरवादी कहे तो हम भी स्वयं को कट्टरवादी कहना षुरू कर दें। यह समस्या का समाधान नही है क्योकि समस्या ज्यादा गंभीर है। पूरी दुनिया के हर देष मे इन्होने किसी न किसी नाम पर आतंकवाद की आवाज उठा रखी है। पूरा विष्व परेषान है। परेषान विष्व गंभीरता से सोच भी रहा है। उसी का परिणाम है कि आज कुल मिलाकर मुसलमान ही ज्यादा मर रहे है चाहे आपस मे कट मरें या दूसरो से । कट्टरवाद प्रारंभ मे तो बहुत

जोर से बढता है किन्तु लम्बे समय बाद वही कट्टरवाद गले की फांस बन जाता हैं इसलिये न हिन्दू हिन्दू चिल्लाने से हिन्दुओं का भला होने वाला है न मुसलमानो के खिलाफ जहर उगलने से। भला हो सकता है सिर्फ एक बात से कि आतंकवाद के विरूद्ध एक साझा रणनीति बने। ऐसी रणनीति बनने मे भारत भी सहायक हो। और ऐसी सहायता मे हम भी बाधक न हों।

साम्यवाद और इस्लाम का एक प्रत्यक्ष मेल मिलाप स्पश्ट रहा है। अब धीरे धीरे साम्यवाद और नक्सलवाद के बीच फूट पडनी षुरू हुई है तो इस्लामिक आतंकवाद से भी अनेक मुस्लिम देष पेरषान है। वर्तमान आम चुनावो ने हिन्दू कटटरवाद को भी धूल चटा दी है। अब हिंसा के विरूद्ध एक सहमति के लक्षण दिखने लगे है। ऐसे समय मे हमारा कर्तव्य है कि हम हिसंक प्रवृत्तियो के विरूद्ध वातावरण बनाने मे मदद करें। हम हिंसा के विरूद्ध मजबूत समाजिक एकता खडी करें और जो लोग ऐसा न होने दे उन्हे हम सामाजिक रूप से अलग थलग कर दे चाहे ऐसे लोग कोई भी क्यो न हो।

3. श्री कृश्ण देव सिह, मउ, उत्तरप्रदेष

ज्ञान तत्व अंक 180 मे पंकज जी ने जो कुछ लिखा उसका उदेष्य स्पश्ट नही हो पाया। आपने समस्याओ के प्रणेता षीर्शक से जो कुछ लिखा उसमे नेता के विशय मे तो बहुत विस्तृत और सटीक विवरण है। यदि कर कानून पर भी ऐसा ही विवरण छपे तो अच्छा होता।

आपने अपने लेख मे लिखा कि गांधी मुक्ति मे दोनो पक्षो के खेल को भी उन्होने अर्थात विनोबा जी ने नजदीक से समझा था और इसीलिये विनोबा जी ने अंगूर खटटे कहकर उस दिषा मे सोचना ही बंद कर दिया । आपने यह वाक्य क्या सोचकर लिखा यह बात आसानी से नही समझ मे आती। दो तीन षब्दो मे ही रहस्य छिपा है। यदि आप कुछ खोल सकें तो अच्छा होता।

उत्तर – पंकज जी ने जो लिखा उसका उदेष्य आप पंकज जी से उन्तीस तीस अगस्त को पूछ लीजियेगा। उनके लिखे पर टिप्पणी

करना मेरे लिये भी कठिन है। नेता के विशय मे तो मैने विस्तार से लिखा है। कर कानून पर कभी भविश्य मे लिखने का प्रयास करूॅगा।

मैने इषारे मे गंभीर सत्य को लिखा जिसे आप ठीक से समझ भी गये इसीलिये आपने इस सत्य को और विस्तारित करने हेतु लिखा। स्वतंत्रता के पूर्व से ही सत्ता के दो दावेदार गांधी की उपस्थिति से परेषानी अनुभव कर रहे थे 1 सत्ता से जुडे लोग जिनके खेल मे गांधी की उपस्थिति तो सहायक थी किन्तु सक्रियता बाधक 2 सत्ता से बाहर सत्ता के लिये लालायित लोग जिनके खेल मे गांधी की उपस्थिति ही बाधक थी सक्रियता का तो प्रष्न ही नही । गांधी का नाम कांग्रेस के लोगो को सत्ता मे सहायक था और संध परिवार के लिये यह नाम हानिकर था। संध परिवार ने गांधी का नाम मिटाने का प्रयास किया और गांधी को बदनाम करना षुरू किया जिसके परिणाम स्वरूप गांधी हत्या होगई। कांग्रेस के लोगो को अब गांधी की बाधा दूर हो गई। अब वे गांधी नाम का भी उपयोग करते रहे और गांधी कही हस्तक्षेप भी नही कर सकते थे। गांधी जी का स्वतंत्र भारत मे जो परिणाम हुआ उससे विनोबा जी ने सबक सीखा कि सत्ता का खेल चरित्र की सारी सीमाए तोडकर ही खेला जाता है। यह संभव ही नही कि उस खेल मे बाहर का आदमी किसी भी रूप मे बच जावे। या तो उसे मिलजुलकर सत्ता के खेल मे षामिल होना होगा या पूरी तरह दूर रहना होगा। यदि सत्ता के खेल मे किसी बाहरी ने दखल दी तो उसकी जान भी जा सकती है। हजारो वर्शो का यही इतिहास है जिसे गांधी हत्या ने सिर्फ दुहराया मात्र है। विनोबा जी बहुत चतुर थे। इसलिये उन्होने अपनी जान बचाने के लिये सत्ता के खेल से बाहर रहना ही ठीक समझा और जय प्रकाष जी उस खेल मे कूदकर जान गंवा बैठे।

जय प्रकाष जी ने मिलती हुई सत्ता को लात मार दी और उनके नाम पर सत्ता मे आने वाले अडवाणी जी या जार्ज भी सत्ता के लिये इतना गिर जायेंगें यह मुझे उम्मीद नही थी । मै विनोबा जी का आलोचक हूॅ क्योकि उन्होने जान के डर से कर्तब्य नही किया जबकि जय प्रकाष जी ने जान की परवाह न करके भी कर्तव्य किया। आप इस संबंध मे क्या समझते है यह आपके पत्र से आगे स्पश्ट होगा किन्तु उक्त लेख मे दो षब्दो का मेरा जो आषय था वह मैने लिख दिया है।

विषेश सूचना

ज्ञान यज्ञ परिवार की उन्तीस तीस अगस्त की बैठक की सूचना आप सबको ज्ञानतत्व के पिछले अंक मे गई थी। इस सूचना के अनुसार उन्तीस अगस्त को प्रातः साढे नौ बजे से ज्ञान यज्ञ परिवार की बैठक षाम साढे चार बजे से ट्रस्ट की बैठक तीस अगस्त को प्रातः साढे आठ से ज्ञान यज्ञ परिवार की बैठक दोपहर लोक स्वराज्य अभियान की बैठक तथा उसके बाद समापन सत्र होना है। आप सब ज्ञान यज्ञ परिवार के इन कार्यक्रमो मे आमंत्रित है। सम्भवतः आपने आने की तैयारी कर ली होगी। अन्यथा आप आने की तैयारी कर लें क्योकि एक सितम्बर से ही हमारे सम्पूर्ण कार्यक्रम का अन्तिम चरण षुरू होना है जिसमे यह सम्मेलन महत्वपूर्ण होगा।

इस कार्यक्रम का स्थान पूर्व मे नोयडा स्थित धर्मषाला की सूचना गई थी। कुछ लोगो की दूरी सम्बन्धी कठिनाइयो को भी देखते हुए इस कार्यक्रम तथा निवास का स्थान पंचायती धर्मषाला , तुर्कमान गेट के पास रामलीला मैदान के पीछे, हनुमान वाटिका के सामने, नई दिल्ली कर दिया गया है। आपसे निवेदन है कि आप बदला हुआ स्थान नोट करने की कृपा करे। कठिनाई हो तो फोन कर सकते । नम्बर 9617079344

बंजरग मुनि